

कार्यालय –जनपद न्यायाधीश, महोबा (नजारत अनुभाग)

कुटेशन आमंत्रण सूचना

समस्त अग्निशमन यंत्र रिफिलिंग कर्ता फर्म,

उत्तर प्रदेश।

सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय महोबा में उपलब्ध 40 ए0बी0सी0, टाईप फॉयर एक्सटिंग्यूशर 06 कि0ग्रा0, बाह्य न्यायालय चरखारी व कुलपहाड़ में उपलब्ध 03-03 फायर एक्सटिंग्यूशर तथा परिवार न्यायालय महोबा में उपलब्ध 03 कुल 49 ए0बी0सी0 टाईप फॉयर एक्सटिंग्यूशरों की रिफिलिंग कराया जाना है। महोबा/कुलपहाड़/चरखारी के न्यायालय परिसर को नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया की सब डिवीजनल बिजनेस श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसके अनुसार भवन में 10000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक, 450 एल0पी0एम0 क्षमता का फायर पम्प सहित मैन्यूअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, फर्स्ट एड होजरील, डाउन कमर सिस्टम उपरोक्त भवन ब्लॉकों हेतु पंजीकृत व अधिकृत फर्मों से कुटेशन दिनांक 18.09.2025 सांय 04:00 बजे तक नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय महोबा में आमंत्रित किये जा सकते हैं।

इच्छुक फर्म तदनुसार, जनपद न्यायालय महोबा के नजारत अनुभाग में अपने कुटेशन, समयान्तर्गत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 11.09.2025

अध्यक्ष कय समिति/
अपर जिला जज
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) महोबा।

सूचना की प्रति जनपद न्यायालय महोबा, कलेक्ट्रेट महोबा, तहसील महोबा, मुख्य चिकित्साधिकारी महोबा के कार्यालयों के सूचना बोर्ड पर चस्पा की जावे तथा जनपद न्यायालय महोबा की राजकीय वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित की जावे।

दिनांक 11.09.2025

अध्यक्ष कय समिति/
अपर जिला जज
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) महोबा।